

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनू,
पीठासीन अधिकारी :::: स्वाति(तहसीलदार)

मिसल नं. :::: 82 / 2023

सरकार बनाम ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी फरट

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 02.02.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी फरट, द्वारा रोही मौजा फरट की भूमि ख.नं. 226 के कुल रकबा 16.69 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.03 है० आवासीय मकान व चारदिवारी बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं 27 पर
वर्ष 22.2.23 में रुपये 09.1 कायम किए
राजस्व लेखाकार